सं. 1/4/2017 - **P&PW (F)**
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
****

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली -110003
दिनांक: 2 अगस्त, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन - सतत् परिचर भत्ते में वृद्धि

....

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निर्देश हुआ है कि वर्तमान समय में सतत् परिचर भत्ता (सीएए) उन पेंशनभोगियों को प्रदान किया जाता है जो केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के तहत 100% नि:शक्तता (जहां एक व्यक्ति अपने दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलाप के लिए पूरी तरह से किसी और पर निर्भर है) के साथ नि:शक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त हुए हैं । सतत् परिचर भत्ते का भुगतान नि:शक्तता पेंशन के अतिरिक्त किया जाता है । सतत् परिचर भत्ता की वर्तमान स्वीकार्य दर 4500/- रुपये प्रति माह है ।

2. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की भत्तों संबंधी सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की, सतत् परिचर भत्ते को 1.5 से गुणा करके इसे बढ़ाने अर्थात प्रतिमाह 6750/- रूपए करने की, सिफारिश को स्वीकार कर लिया है । तदनुसार, सतत् परिचर भत्ते की मौजूदा 4500/- रु की राशि को बढ़ाकर प्रति माह 6750/- रुपये करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी सूचित की जाती है ।

3. ये आदेश दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी होंगे ।

4 जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग से संबंधित व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

5. इसे दिनांक 11.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11-1 / 2016- IC के तहत वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से जारी किया जाता है ।

सु. चौधुरी
(सुजाशा चौधरी)
निदेशक
फोन: 24635979

सेवा में

1. मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग ।
2. मानक पृष्ठांकित सूची के अनुसार राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि को प्रतिलिपि ।